फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

गोपाल वगै0 बनाम सरकार वगै0

मा संख्या : 24/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम धामस्या, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 28.8100है0 जिसके गत खसरा नम्बर 213 है। हाल खसरा नम्बर 267 रकबा 0.1100है0 जिसके गत खसरा नम्बर 183 है एवं हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.5200है0 जिसके गत खसरा नम्बर 215 स्थित है। जो हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज सिवाय चक है। उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 213, 183, 215 के साबिक खसरा नम्बर 313, 301, 462, 499, 461, 465, 463, 649, 650, 652 कुल रकबा 121 बीघा 19 बिस्वा मकबूजा ठिकाना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रहा है जिस पर संवत 2009 से 2016 तक गणेश पुत्र सेवा जाति मीणा व गंगाराम पुत्र सुखा जाति गुर्जर बदस्तुर काबिज काश्त रहे है व गणेश पुत्र सेवा की मृत्यु उपरान्त गेंदी पत्नि गणेश के नाम बदस्तुर खातेदार संवत 2018 में दर्ज रिकार्ड रही तथा गेंदी की मृत्यु उपरान्त वादीगण सं0 1 ता 4 व प्रोफार्मा प्रतिवादी सं0 2 जो कि गुल्ला पुत्र गणेश के वारिसान है जो 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। गंगाराम वल्द सुखा जाति गुर्जर ने उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 213, 183,215 के 1/2 हिस्से को जरिये विकय पत्र दिनांक 27.08.1974 को महादेव, रामसहाय, कालू, रामप्रसाद , पांचू पि0 ग्यारसा, रामधन पुत्र जीवण, रामकिशन पुत्र लच्छू, बद्री, प्रभात, रामेश्वर पि0 भौरीलाल जाति गुर्जर को बेचान कर दिया जिनका नामा0 सं0 19 स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वादीगण सं0 5 ता 10 व प्रोफार्मा प्रतिवादी सं0 3 ता 15 जरिये पंजिकृत विकय पत्र खरीद करने व खरीददारों के वारिसान होने से 1/2 हिस्से के बरूहे काबिज खातेदार है। हाल खसरा नम्बर 244 रकबा 28.8100है0 में से खसरा नम्बर 347/340 रकबा 1.8000है0 भूमि स्कूल खेल मैदान के लिये आवंटित कर दी गई एवं हाल खसरा नम्बर 241/244 रकबा 0.1800है0, खसरा नम्बर 342/244 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 343/244 रकबा 0.5000है0, खसरा नम्बर 344/244 रकबा 0.7500है0, खसरा नम्बर 345/244 रकबा 0.7600है0, खसरा नम्बर 346/244 रकबा 0.2500है0 आबादी हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित कर दी गई। जबकि उक्त भूमियों पर वर्तमान मे वादीगण व प्रोफार्मा प्रतिवादीगण काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि पर आज भी काश्त चली आ रही है तथा इन खसरा नम्बरों के लिये वाद पेश नही किया गया है। उक्त का अधिकार सुरक्षित रखते हुए खसरा नम्बर 244 से बने खसरा नम्बर 250/348 रकबा 21.8200है0, खसरा नम्बर 349/348 रकबा 2.5000है0 के लिये वाद घोषणा का है। जिनकी खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जावें। खसरा नम्बर 313, 301, 462, 499, 461, 465, 463, 649, 650, 652 कुल रकबा 121 बीघा 19 बिस्वा भूमियां ठिकाना धूलारावजी की जागीर में थी तथा जागीर पुनग्रहण के पश्चात कानूनन भूमि खालसा हो चुकी थी एवं जागीर पुनग्रहण अधिनियम धारा 9 के अन्तर्गत भूमि गणेश पुत्र सेवा जाति मीणा हिस्सा 1/2 व गंगाराम पुत्र सुखा फौत हो जाने पर राजस्व जमाबन्दी मे गैदी बेवा गणेश व गंगाराम पुत्र सुखा के नाम जमाबन्दी संवत 2018 में खातेदारी जमाबन्दी खसरा नम्बर 213, 183, 215 की कायम की गई थी। गंगाराम पुत्र सुखा को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से अपने हक अधिकारों की खातेदारी हिस्सा 1/2 को जरिये पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 2708.1974 को कर देने से वादीगण सं0 5 ता 11 व प्रोफार्मा प्रतिवादी सं0 3 ता 15 बरूहे आज भी खातेदार है तथा दिनांक 27.08.1974 को किये गये विकय पत्र को सिविल	

भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है ऐसी स्थिति में वादी सं0 5
ता 11 व प्रोफार्मा प्रतिवादी सं0 3 ता 15 हिस्सा 1/2 के बरूहे खातेदार
है जिन्हे मुतवादिया आराजियात का 1/2 हिस्से खातेदार घोषित किया
जाना न्यायोचित है। वादीगण सं. 1 ता 4 व प्रोफार्मा प्रतिवादी सं0 2 गणेश
पुत्र सेवा व गुल्ला पुत्र गणेश के वारिसान है जिनका संवत 2009 से ही
मुतदाविया आराजियात पर काबिज काश्त है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी
भी दर्ज रही है तथा उक्त वादीगण सं0 2 बरूहे खातेदार है जिन्हे 1/2
हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम धामस्या में
वादांकित भूमि खसरा नम्बर 350/348 रकबा 21.8200है0, खसरा नम्बर
349/348 रकबा 2.5000है0, खसरान म्र 267 रकबा 0.1100है0, खसरा
नम्बर 273 रकबा 0.5200है0 के 1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण सं0 1
ता 4 व प्रोफार्मा प्रतिवादी सं0 2 को घोषित किया जावे एवं 1/2 हिस्से
का खातेदार वादीगण सं0 5 ता 11 व प्रोफार्मा प्रतिवादी सं0 3 ता 14 को
किया जावें तथा संबंधित जमाबन्दी रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये
जाने के आदेश फरमाया जावें।

प्रतिवादी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराय
कि ग्राम धामस्या के हाल खसरा नम्बर 244 के गत खसरा नम्बर 183 है
एवं खसरा नम्बर 273 के गत खसरा नम्बर 215 है। मुताबिक राजस
रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2075–78 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के
अनुसार ग्राम धामस्या के खसरा नम्बर 267 रकबा 0.11है0, खसरा नम्ब
273 रकबा 0.52है0 एवं 244 के नवीन खसरा नम्बर 350/348 रकबा 21
42है0 भूमि सिवायचक (सरकारी) भूमि दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक एकीकरण
मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम धामस्याके गत खसरा नम्बर 183 के साबिक
खसरा नम्बर 499 है गत खसरा नम्बर 213 साबिक खसरा नम्बर 31
301, 461, 462, 465, 463, 649, 650 है एवं गत खसरा नम्बर 215 त
साबिक खसरा नम्बर 652 है और यह है कि मुताबिक जमाबन्दी भू
एकीकरण खतौनी संवत 2018 के अनुसार ग्राम धामस्या के खसरा नम्ब
183, 213, 215 किता 3 रकबा 121 बीघा 19 बिस्वा खातेदार गैन्दी बे
गणेश मीना व गंगाराम वल्द सुखा गुर्जर सा0देह के नाम राजस्व रिका
दर्ज है। नामा0 सं0 19 के अनुसार खसरा नम्बर 183, 213, 215 प
खातेदार गैन्दी बेवा गणेश मीना व गंगाराम पुत्र सुखा कौम गुर्जर सा0दे
की बजाय महादेव, रामसहाय, कालू, रामप्रताप, पांचू पि0 ग्यारसा, रामध
पुत्र जीवण, रामकिशन पुत्र लच्छू, बदरी, प्रभात, रामेश्वर पि0 भौरील
जाति गुर्जर सा0देह हिस्सा बराबर शेष गैन्दी बेवा गणेश मीना बदस्तुर द
हुआ था। नामा0 सं0 274 के अनुसार ग्राम धामस्या के खाता सं0 1
खसरा नम्बर 244 रकबा 28.81है0 सिवायचक लगानी की बजाय खाता
1 के खसरा नम्बर 340/244 रकबा 26.12है0 सिवायचक लगानी एवं ख
सं0 131 के खसरा नम्बर 341/244 रकबा 0.18है0 किस्म गै0मु0आबा
खसरा नम्बर 345/244 रकबा 0.76है0 किस्म गै0मु0आबादी, खसरा न
343/244 रकबा 0.50है0 किस्म गै0मु0आबादी, खसरा नम्बर 344/
रकबा 0.75है0 किस्म गै0मु0आबादी, खसरा नम्बर 346/244 रकबा 0.2
किस्म गै0मु0आबादी ग्राम पंचायत धामस्या हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए
हुआ था और जरिये नामा0 सं0 291 के खाता सं0 1 के खसरा न
340/244 रकबा 26.12है0 सिवायचक लगानी की बजाय खाता सं
खसरा नम्बर 348/340 किता 1 रकबा 24.32है0 सिवायचक लगानी
खाता सं0 137 के खसरा नम्बर 347/340 किता 1 रकबा 1.80है0 कि
खेल मैदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धामस्या तहसील
हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकार्ड है। जरिये नामा0 सं0 292 से र
सं0 1 के खसरा नम्बर 348/340 रकबा 24.32है0 सिवायचक लगानी
बजाय खसरा नम्बर 349/348 रकबा 2.50है0 किस्म राजकीय काय
सिवायचक लगानी एवं खसरा नम्बर 350/348 रकबा 21.80है0 कि
बारानी 3 सिवायचक लगानी दर्ज हुआ था। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार
धामस्या के खसरा नम्बर 267 रकबा 0.11है0 किस्म बीड, खसरा नम्बर
रकबा 0.52है0 किस्म बीड, खसरा नम्बर 350/348 रकबा 21.80है0 कि
बारानी 3 सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। एवं खसरा नम्बर 349/
रकबा 2.50है0 किस्म राजकीय कार्यालय सिवायचक भूमि दर्ज है।

पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार रिपोर्ट एवं
दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं वकील वादगण की बहस का
करने पर पाया कि ग्राम धामस्या के खसरा नम्बर 267 रकबा0

किस्म बीड, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.52है0 किस्म बीड, खसरा नम्बर 350/348 रकबा 21.80है0 किस्म बारानी 3 सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। एवं खसरा नम्बर 349/348 रकबा 2.50है0 किस्म राजकीय कार्यालय सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर आदेश से राजकीय कार्यालय एवं खेल मैदान हेतु दर्ज की गई। जिसको दुरूस्त किया जाना उचित नही समझते है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर